बिहार सरकार

बिहार विशेष सर्वेक्षण

प्रेक्षक हस्तक

द्वितीय संस्करण– 2026

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
	खण्ड–I **विशेष सर्वेक्षण: परिचय एवं सामान्य सूचनाएँ**	
1	बिहार विशेष भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त – एक परिचय (क) सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का मूल मंत्र (ख) बिहार विशेष भू–सर्वेक्षण में प्रयुक्त तकनीक (ग) भू–सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र	5 6 7–9
2.	बिहार विशेष सर्वेक्षण के कार्यो के लिए प्रेक्षकों की आवश्यकता एवं अपेक्षा	10
3.	बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं नियमावली	11
4.	भू–सर्वेक्षण की चरणवद्ध प्रक्रियाएँ	12
5.	विशेष सर्वेक्षण के संसाधन एवं प्रशिक्षण संबंधी राज्य स्तरीय नीति एवं कार्य	13
6.	विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए चयनित 38 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0	14
	खण्ड–II **जिला स्तरीय वरीय प्रेक्षकों का भ्रमण**	
7.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु प्रथम भ्रमण (क) बंदोबस्त कार्यालय का प्रबंधन (ख) जिला स्तरीय नवनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण	16–18 18–19
8.	जिला स्तरीय एवं अंचल स्तरीय कार्यालयों के साथ समन्वय की समीक्षा	20
9.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु द्वितीय भ्रमण	21–23
10.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु तृतीय भ्रमण	24–25
11.	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु चतुर्थ भ्रमण	26–27
	खण्ड–III **शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का भ्रमण**	
12.	शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का प्रथम भ्रमण	29–30
13.	शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का द्वितीय भ्रमण	31
14.	शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का तृतीय भ्रमण	32–33
15.	शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का चतुर्थ भ्रमण	34–35

<u>**खण्ड–IV**</u>

प्रतिवेदन के प्रपत्र, अधिसूचनाएँ, परिपत्र एवं पत्र

16.	प्रतिवेदन हेतु विभिन्न प्रपत्र	37–38
	(i) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु प्रथम भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र (प्रपत्र–क से प्रपत्र–ग तक)	39–41
	(ii) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु द्वितीय भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र (प्रपत्र–क से प्रपत्र–ग तक)	42–44
	(iii) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु तृतीय भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र (प्रपत्र–क से प्रपत्र–ग तक)	45–46
	(iv) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु चतुर्थ भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र	47–50
	(v) शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का प्रथम भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र	51
	(vi) शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का द्वितीय भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र	52
	(vii) शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का तृतीय भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र	53
	(viii) शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का चतुर्थ भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र	54–57
17.	महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ	58–59

सर्वेक्षण – संक्षेप

एरियल सर्वे, ऑर्थोफोटोग्राफी, मानचित्र निर्माण,
विशेष सर्वेक्षण में है बनना, डिजिटाइज्ड खतियान।
भू–प्रकृति उपयोग आधारित, निर्धारित लगान,
एकीकृत, सरल, प्रभावी सेवा, करना है प्रदान।।

किश्तवार, खानापुरी, सुनवाई विश्रांति,
डिजिटाइज़्ड अधिकार–अभिलेख से दूर होगी भ्रांति।
ऑर्थोसत्यापन, खेसरा क्रमांकन, मुस्तकिल अनिवार्य,
किश्तवार के प्रक्रम में हैं महत्वपूर्ण कार्य।।

ग्राम–सरहद का निश्चित पैमाना, खोजें पुराना तीन सीमाना,
हू–ब–हू नक्शा करें तैयार, उत्तर–पश्चित से लगातार।
कलस्टर में करना है कार्य, तोखा लाईन है स्वीकार्य,
रियल टाइम मैप बनेगा जब, स्थिति होगी तब स्पष्ट।।

खेसरों के खानों को भरना, सिलसिलेवार नंबर है देना,
खानापुरी की यही है रीति, नक्शे के खानों की पूर्ति।
याददाश्त पंजी आधार, खेसरा पंजी हो तैयार,
खानापुरी पंजी निर्माण, एलपीएम देना है बाँट।।

दावा–आक्षेपों की सुनवाई, अधिकार–अभिलेख की करें तैयारी,
सफाई, मुकाबला और तरमीम, अंतिम प्रकाशन से पूर्व तरतीब।
अधिनियम में है प्रावधान, निर्धारित हो उचित लगान,
चार प्रतियों में अधिकार–अभिलेख, नियमावली में है उल्लेख।।

सूचना, शिक्षा और संचार, विशेष सर्वेक्षण के मुख्य आधार,
मार्गदर्शन की हो दरकार, एफएक्यू भी है तैयार।
अमीन हो या बंदोबस्त पदाधिकारी, सबकी निश्चित जिम्मेवारी,
आएँ मिलकर करें प्रयत्न, भू–विवाद का करने अंत।।

डॉ0 श्यामल किशोर पाठक, भा0प्र0से0
विशेष सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार

खण्ड—I

विशेष सर्वेक्षण: परिचय एवं सामान्य सूचनाएँ

1. (क) सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का मूल मंत्र

1. आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से डिजिटाइज्ड ऑनलाईन अधिकार–अभिलेखों एवं मानचित्रों का संधारण, संरक्षण एवं अद्यतीकरण की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखना
2. सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त करना।
3. सर्वेक्षण कार्यो का समुचित ढंग से अनुश्रवण करना।
4. अमीन, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न कर्मियों को संवेदनशील बनाना।
5. अद्यतन अधिकार अभिलेख का निर्माण एवं भू–प्रकृति एवं उपयोग आधारित लगान निर्धारण कर भू–विवादों में कमी लाना

1. (ख) बिहार विशेष भू–सर्वेक्षण में प्रयुक्त तकनीक

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के अधीन संपूर्ण बिहार में आधुनिक तकनीकों के आधार पर सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। यह तकनीक संकर हाईब्रिड पद्धति, स्थल सत्यापन, ई0टी0एस0/ डी0जी0पी0एस0, एवं आवश्यकतानुसार पुरानी पद्धति के उपयोग पर आधारित है। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रावैधिकी की सहायता से डिजिटाईज्ड ऑनलाईन अधिकार–अभिलेखों एवं मानचित्रों का संधारण तथा संरक्षण एवं अद्यतीकरण की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखना है। इस संदर्भ में "भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर" में सर्वेक्षण से संबंधित सभी डाटा को संधारित किया जाएगा ताकि कम्प्यूटर जनित एवं संधारित डाटा एवं अभिलेख भविष्य की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति में भी सहायक होंगे।

1. (ग) भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम के आलोक में पूरे राज्य के 38 जिलों में स्थानीय शहरी निकायों की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर सभी ग्रामों की बाह्य सीमाओं के भीतर अवस्थित केन्द्र तथा राज्य सरकार की भूमि सहित समस्त भूमि का भू–सर्वेक्षण संचालित करते हुए अधिकार अभिलेख तैयार करने के उद्देश्य से निर्गत की गई अधिसूचनाओं की विवरणी निम्नवत् है:–

अधिसूचना सं0 एवं तिथि	अधिसूचित कुल जिले	जिलों के नाम
1574/01.10.2012	13	1. नालंदा 2. बेगूसराय 3. लखीसराय 4. खगड़िया 5. शेखपुरा 6. मुंगेर 7. भागलपुर 8. जमुई 9. छपरा 10. सीवान 11. पूर्णियाँ 12. कटिहार 13. पूर्वी चम्पारण
188/03.02.2015	5	1. सहरसा 2. सुपौल 3. मधेपुरा 4. अररिया 5. किशनगंज
1973/03.11.2016	20	1. मुजफ्फरपुर 2. सीतामढ़ी 3. वैशाली 4. शिवहर 5. पश्चिम चम्पारण 6. गया 7. जहानाबाद 8. अरवल 9. औरंगाबाद 10. कैमूर 11. नवादा 12. गोपालगंज 13. बांका 14. भोजपुर 15. बक्सर 16. रोहतास 17. समस्तीपुर 18. मधुबनी 19. पटना 20. दरभंगा

बिहार एक नजर में

1.	कुल क्षेत्रफल	94163 Sq. km
2.	ग्रामीण क्षेत्रफल	92257.51 Sq. km
3.	शहरी क्षेत्रफल	1905.49 Sq. km
4.	जिलों की संख्या	38
5.	अनुमंडलों की संख्या	101
6.	अंचलों की संख्या	533
7.	राजस्व ग्रामों की संख्या	45864
8.	पंचायतों की संख्या	8386
9.	अंक्षांश (Latitude) देशांतर (Longitude)	24° - 20'- 10"N To 27°-31'-15"N 83° - 19'- 50"E To 88°-17'-40"E

उपर्युक्त अधिसूचनाओं एवं संपूर्ण बिहार में पूर्व से उपलब्ध कार्यबल तथा नव नियोजित कार्यबल के आधार पर विभागीय अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा आदेश संख्या–1600 दिनांक– 20.09.2019 द्वारा राज्य के 20 जिलों में एवं आदेश संख्या–177 दिनांक–11.01.2024 के द्वारा शेष अन्य जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इन 38 जिलों से संबंधित विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:–

प्रथम चरण अंतर्गत जिले :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	अनुमंडल की संख्या	कुल अंचल	कुल राजस्व ग्राम	सम्बद्ध हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का नाम
1.	बेगूसराय	5	18	1229	आई0आई0सी0 टेक्नॉलाजी, हैदराबाद
2.	लखीसराय	1	07	488	
3.	खगड़िया	2	07	305	
4.	कटिहार	3	16	1546	
5.	पूर्णियाँ	4	14	1299	
6.	अररिया	2	09	751	
7.	किशनगंज	1	07	802	
8.	शिवहर	1	05	207	
9.	सीतामढ़ी	03	17	845	
10.	जहानाबाद	01	07	612	
11.	अरवल	01	05	335	
12.	सुपौल	04	11	556	जी0आई0एस0 कॉन्सॉर्टियम, नई दिल्ली
13.	सहरसा	02	10	473	
14.	मधेपुरा	02	13	447	
15.	पश्चिमी चम्पारण	03	18	1507	
16.	बांका	01	11	2000	
17.	जमुई	01	10	1528	
18.	मुंगेर	02	09	916	अरहास टेक्नॉलाजी, गुड़गांव, नई दिल्ली
19.	शेखपुरा	01	06	340	
20.	नालंदा	03	20	1085	

द्वितीय चरण अंतर्गत जिले :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	अनुमंडल की संख्या	कुल अंचल	कुल राजस्व ग्राम	सम्बद्ध हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का नाम
1.	मधुबनी	5	21	1115	अरहास टेक्नॉलाजी, गुड़गांव, नई दिल्ली
2.	दरभंगा	3	18	1276	
3.	गोपालगंज	2	14	1562	
4.	सिवान	2	19	1510	
5.	सारण	3	20	1827	
6.	समस्तीपुर	4	20	1270	
7.	भागलपुर	3	16	1559	
8.	पटना	6	23	1522	
9.	भोजपुर	3	14	1218	
10.	बक्सर	2	11	1142	
11.	कैमूर	2	11	1715	
12.	रोहतास	3	19	2100	
13.	पूर्वी चम्पारण	7	27	1376	आई0आई0सी0 टेक्नॉलाजी, हैदराबाद
14.	मुजफ्फरपुर	2	16	1808	
15.	वैशाली	3	16	1572	
16.	औरंगाबाद	2	11	1884	
17.	गया जी	4	24	2921	
18.	नवादा	2	14	1099	जी0आई0एस0 कॉन्सॉरिटियम, नई दिल्ली

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण के कार्यों के लिए प्रेक्षकों की आवश्यकता एवं अपेक्षा

पूरे राज्य में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के लिए चयनित 38 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के कार्य हेतु संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी– 438, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो– 654, विशेष सर्वेक्षण अमीन– 8624 तथा विशेष सर्वेक्षण लिपिक– 876 कार्यरत है। इतने बड़े कार्यबल को समुचित संसाधन उपलब्ध कराना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना एक चुनौती भरा कार्य है। समस्त कार्यबल की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का स्तर क्या है। संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी के कारण विशेष सर्वेक्षण कार्य के परिणामों को प्रभावित न होने देना राजस्व विभाग की प्राथमिकता है। विशेष सर्वेक्षण के सफल क्रियान्वयन का दायित्त्व जिला बंदोबस्त पदाधिकारी का है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधन एवं मानवबल के साथ जिले में किए जा रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों का गहन पर्यवेक्षण कर समीक्षा की जाए और पर्यवेक्षण में पाई गई त्रुटियों से जिला बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया जाए। विशेष सर्वेक्षण कार्यों में गुणवत्ता के साथ परिणाम की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न सभी कर्मियों में उत्तरदायित्त्व का बोध पैदा किया जाए और उनका समुचित मार्गदर्शन कर विशेष सर्वेक्षण कार्य की उद्‌देश्य पूर्ति की जाए।

राज्य स्तर से नियुक्त किए गए जिला स्तरीय प्रेक्षकों से उपेक्षा की जाती है कि वे अपने निम्नांकित दायित्त्वों का निर्वहन करेंगे :–

(क) बंदोबस्त पदाधिकारी को सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य में अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित करना।

(ख) जिला स्तर के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करने के लिए प्रेरित करना।

(ग) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त संबंधी जिला स्तरीय प्रबंधन की समीक्षा करते हुए पाई गई कमियों को दूर करने का प्रयास करना।

(घ) विशेष सर्वेक्षण कार्य में संलग्न बन्दोबस्त कार्यालय एवं शिविर कार्यालयों द्वारा नियमसम्मत् कार्रवाई को सुनिश्चित कराना।

(ङ) जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन की प्रक्रमवार समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन स्वयं के मंतव्य के साथ अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप तथा बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

(च) प्रेक्षक का कार्य सहयोगात्मक एवं रचनात्मक होना चाहिए, न कि छिद्रान्वेषी (Fault finding) एवं आलोचनात्मक

3 बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं नियमावली

कैडस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वेक्षण में पूर्णतया मानवीय तकनीक आधारित मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वर्त्तमान समय में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011, (यथा संशोधित अधिनियम, 2017 एवं 2025) एवं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012, (संशोधित नियमावली, 2019, 2024, 2025 एवं 2026) में निहित प्रावधानों के आलोक में विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया अपनाई गयी है तथा बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 101 से 115A तक के सर्वेक्षण प्रावधानों को Repeal कर दिया गया है। यह सर्वेक्षण मानचित्र निर्माण के संबंध में पूर्व के सर्वेक्षणों से भिन्न है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की प्रस्तावना की कंडिका IX, XI एवं XII तथा धारा 6 के अनुपालन में वर्त्तमान सर्वेक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक पर आधारित है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 21 के अनुपालन में भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा प्रकाशित तकनीकी मार्गदर्शिका दिनांक–15.03.2019 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित की गई है। इसके अतिरिक्त, आवश्तानुसार समय–समय पर विभागीय अधिसूचनाएँ, परिपत्र एवं पत्र भी निर्गत किए गए हैं।

विभागीय अधिसूचना संख्या–648 (8) दिनांक–10.12.2024 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत रैयतों के अधिकार–अभिलेख (खतियान) निर्माण की प्रक्रियान्तर्गत खेसरों की अधिकारिता का निर्धारण एवं अन्य राजस्व मामले के समाधान हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त एवं राजस्व मार्गदर्शिका अधिसूचित की गई है।

4 भू– सर्वेक्षण की चरणबद्ध प्रक्रियाएँ

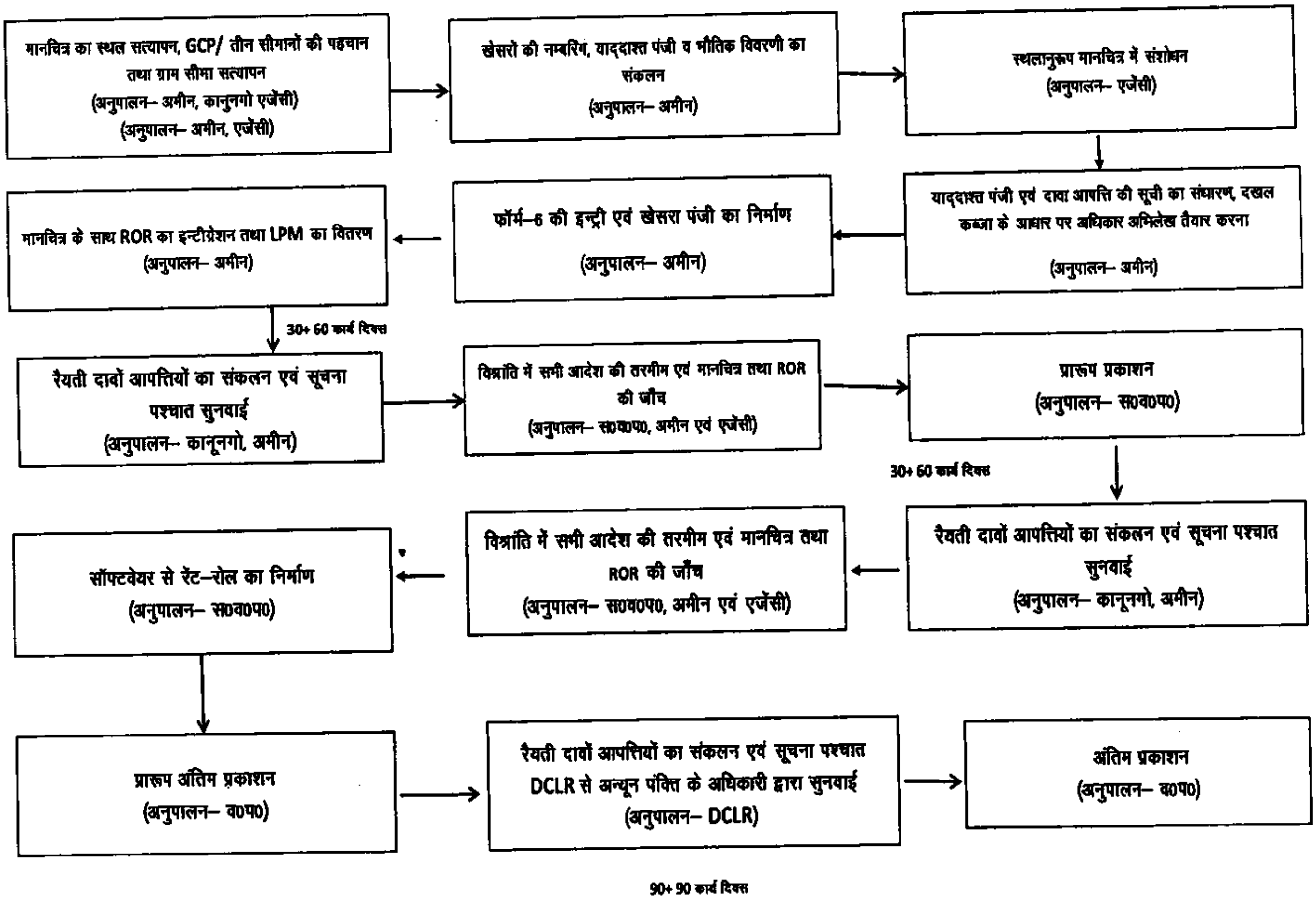

5 विशेष सर्वेक्षण के संसाधन एवं प्रशिक्षण संबंधी राज्य स्तरीय नीति एवं कार्य

1. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य 38 जिलों में प्रारंभ करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर आवश्यक संसाधनों के प्रबंधन का पूर्ण दायित्त्व जिला बन्दोबस्त पदाधिकारी को दिया गया है।
2. संसाधनों के रूप में आवश्यक उपयोगी सामग्रियों की सूची और उनके उपर होने वाले संभावित व्यय तथा जिला स्तर पर होने वाले संभावित व्यय का आकलन कर कार्य–योजना के साथ भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा पत्रांक– 394 दिनांक– 28.02.2020 एवं 408 दिनांक– 28.02.2020 इत्यादि निर्गत किए गए है, जो क्रमशः प्रशिक्षण एवं विस्तृत कार्य–योजना एवं निदेश से संबंधित हैं।
3. जिला स्तर पर व्यय होने वाली राशि मौटे तौर पर आकलन कर आवश्यक आवंटन भी जिला को उपलब्ध कराया गया है। प्रशिक्षण के संबंध में बनाई गई नीति के अनुसार विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर निदेशालय द्वारा दिया जाएगा।
4. अमीन और लिपिक का प्रशिक्षण अलग–अलग जिलों में जिला बन्दोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन एवं लिपिक के प्रशिक्षण की अवधि निदेशालय द्वारा निर्धारित कर इससे संबंधित पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री भी तैयार की गई है।
5. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री के रूप में राजस्व एवं सर्वेक्षण से संबंधित विषयों पर विभिन्न विडियो क्लास तैयार कर You Tube पर Directorate of Land Record and Survey, Bihar के नाम से अपलोड किए गए है। जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में किया जाना है।
6. निदेशालय द्वारा भू–सर्वेक्षण में संलग्न कर्मियों के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए प्रक्रमवार किए जाने वाले कार्य एवं व्यक्तिवार कार्यों की समीक्षा करने के लिए MIS Entry के माध्यम से ऑनलाईन प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किए जाने की व्यवस्था की गई है।
7. सर्वेक्षण संबंधी सभी कार्यों की कम्प्यूटर में प्रविष्टि के लिए भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर बनाया गया है तथा कार्यबल प्रबंधन के लिए भी अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।
8. भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा Department of Land Records & Survey की वेबसाईट पर विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सभी जानकारी यथा–अधिसूचनाएँ पत्र परिपत्र, प्रतिवेदन, प्रशिक्षण संबंधी सामग्री इत्यादि उपलब्ध है।

06. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के लिए चयनित 38 जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नं0

क्र0 सं0	जिला का नाम	बन्दोबस्त पदाधिकारी का नाम	मोबाईल नं0
1	बेगूसराय	श्री मो0 नुरूल ऐन	8210083941
2.	लखीसराय	श्री प्रभात कुमार	9031671308
3.	खगड़िया	श्री मो0 नुरूल ऐन	8210083941
4.	कटिहार	श्री नरेश झा, भा0प्र0से0	9955926382
5.	पूर्णियाँ	श्री शंकर शरण ओमी	9031671729
6.	अररिया	श्री सुधांशु शेखर	8340492421
7.	किशनगंज	श्री जनमेजय शुक्ला	9470701828
8.	शिवहर	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	8002356336
9.	सीतामढ़ी	श्री मो0 जियाउल्लाह	9801757286
10.	जहानाबाद	श्री संदीप कुमार	7004562047
11.	अरवल	श्री संदीप कुमार	7004562047
12.	सुपौल	श्री बुद्धप्रकाश	8789423721
13.	सहरसा	श्री बुद्धप्रकाश	8789423721
14.	मधेपुरा	श्री ब्रजेश कुमार, भा0प्र0से0	9931400758
15.	पश्चिमी चम्पारण	श्री प्रमोद कुमार, भा0प्र0से0	9771345870
16.	बांका	श्री अरविंद कुमार	9006255006
17.	जमुई	श्री संजय कुमार राय	9546854737
18.	मुंगेर	श्री प्रभात कुमार	9031671308
19.	शेखपुरा	श्री नीरज कुमार	9973579203
20.	नालंदा	श्री प्रभात चंद्रा	9264440430
21	पटना	श्री राजीव रंजन प्रभाकर, भा0प्र0से0	8271205755
22	सारण	श्री अखिलेश कुमार	8709564915
23	मुजफ्फरपुर	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	8002356336
24	दरभंगा	श्री मनोज कुमार	9934922942
25	गया जी	–	–
26	वैशाली	श्री रामदुलार राम (अपर समाहर्त्ता, आपदा)	6202621623
27	पूर्वी चम्पारण	श्री कुमार विवेकानंद	9931405494
28	भोजपुर	श्री नीरज कुमार दास	9431221897
29	बक्सर	डॉ0 नंदलाल आर्य, भा0प्र0से0	9934740960
30	रोहतास	श्री नवीन कुमार	9540537511
31	गोपालगंज	श्री अजय कुमार	9835737317
32	समस्तीपुर	श्री विजय कुमार	9789260836
33	भागलपुर	श्री अजय कुमार सिंह	9534893479
34	कैमूर	श्री नवीन कुमार	9540537511
35	औरंगाबाद	श्री जावेद अहसन अंसारी	9031671243
36	नवादा	श्री मनोज कुमार, भा0प्र0से0	8969940738
37	मधुबनी	श्री राजेश कुमार सिंह	9031671475
38	सिवान	श्री सुजीत कुमार, भा0प्र0से0	9430557376

खण्ड–II

जिला स्तरीय वरीय प्रेक्षकों का भ्रमण

7 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु प्रथम भ्रमण हेतु चेकलिस्ट

(क) बंदोबस्त कार्यालय का प्रबंधन

7.1 जिला अंतर्गत किन–किन अंचलों में कितने ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने की उद्घोषणा की गई है।

7.2 उद्घोषणा पश्चात जनसहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

7.3 शिविरों के गठन की समीक्षा – जिला स्तर पर विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के लिए गठित किए गए शिविर के गठन। शिविरवार कर्मियों की उपलब्धता।

7.4 जिला बंदोबस्त कार्यालय में संसाधनों की स्थिति, बंदोबस्त कार्यालय में अभिलेखों प्रपत्रों के भंडारण एवं शिविरों में उनके वितरण की व्यवस्था की समीक्षा। शिविर कार्यालयों को विगत सर्वेक्षण के खतियान को उपलब्ध कराने की स्थिति।

7.5 जिला स्तर पर हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यालय की समीक्षा– कर्मियों की उपलब्धता, विशेष सर्वेक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर यथा ETS, DGPS की उपलब्धता।

7.6 जिला बंदोबस्त कार्यालय द्वारा नवनियुक्त कर्मियों द्वारा कार्य प्रारंभ किए जाने के पश्चात उनके अल्पकालीन प्रशिक्षण/मूल्यांकन इत्यादि के लिए किए जाने वाले उपाय।

7.7 जिला बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के मध्य कार्य विभाजन की समीक्षा एवं पदस्थापित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो एवं अमीन की व्यक्तिवार समीक्षा।

7.8 जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी द्वारा शिविरों के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक के समय अंतर्गत एवं बैठकों में दिए गए निदेश के अनुपालन की स्थिति।

7.9 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा विशेष सर्वेक्षण के लिए बनाए गए प्राइमरी एवं सेकेन्डरी कन्ट्रोल प्वाइन्ट की समीक्षा स्थान, सुरक्षा इत्यादि।

7.10 जिला स्तर पर मानचित्रों के संधारण संबंधी व्यवस्था की समीक्षा – मानचित्रों को ग्रामवार संरक्षित कर रखने के लिए किए गए उपाय।

7.11 विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि की विवरणी प्राप्त करने के लिए विभागवार नियुक्त किए गए नोडल पदाधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा।

7.12 एजेंसी द्वारा जिला में लैब/कार्यालय खोला गया है या नहीं।

7.13 जिले में कर्मी (ETS ऑपरेटर और सपोर्ट स्टाफ) कुल ETS मशीन, कुल DGPS, कुल प्लॉटर की संख्या कितनी है।

7.14 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा अमीनों को उपलब्ध करायी जाने वाली आवश्यक सामग्री के (यथा मापने का टेप, गुनिया, प्लॉटिंग स्केल, स्केल, कैलकुलेटर) क्रय एवं वितरण की स्थिति।

7.15 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को सामग्री (यथा मापने का टेप, गुनिया, प्लॉटिंग स्केल, स्केल, कैलकुलेटर) क्रय करने के लिए प्रदत्त राशि की समीक्षा।

7.16 अमीन को सामग्री (मापने का टेप, गुनिया, प्लॉटिंग स्केल, डिवाईस, ब्रास, तख्ती तिपाई, स्केल 30 से0मी0, सूजा, कैलकुलेटर, मैप कंटेनर/कवर) क्रय करने हेतु राशि दी गई है कि नहीं ?

7.17 जिला बंदोबस्त कार्यालय को सर्वेक्षण कार्यालय से उपलब्ध कराये गये प्रपत्र की स्थिति।

क्र0 सं0	प्रपत्र का नाम	विषय
1.	प्रपत्र –2	रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि का स्वघोषणा प्रपत्र
2.	प्रपत्र–3	स्वघोषणा के विरूद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन का प्रमाण पत्र की पंजी
3.	प्रपत्र – 1(i)	वंशावली प्रपत्र
4.	प्रपत्र – 3(ii)	याद्दाश्त प्रपत्र
5.	प्रपत्र – 4	गैर सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी
6.	प्रपत्र – 5	खतियानी विवरणी की पंजी
7.	प्रपत्र – 6	खेसरा पंजी की पंजी
8.	प्रपत्र – 8	दावा/आक्षेप का प्रपत्र
9.	प्रपत्र – 9	दावा/आक्षेपों की पावती प्रपत्र
10.	प्रपत्र – 10	दावा/आक्षपों की पंजी
11.	प्रपत्र – 11	सूचना का प्रपत्र
12.	प्रपत्र – 14	दावा/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र
13.	प्रपत्र – 15	प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए दावों/आक्षेपों की पंजी
14.	प्रपत्र – 16	दावा/आक्षेपों की पावती प्रपत्र
15.	प्रपत्र – 17	सूचना का प्रपत्र
16	अमीन डायरी	अमीन डायरी
17.	प्रपत्र–21	दावा/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र
18.	प्रपत्र–22	सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र
19.	प्रपत्र–23	दावा/आक्षेपों के पावती का प्रपत्र
20.	प्रपत्र–24	दावा/आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र

7.18 जिला अंतर्गत कितने राजस्व ग्रामों का कैडेस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी मानचित्र उपलब्ध कराया गया।

7.19 जिला में मानचित्र उपलब्धता के लिए लगाए गए प्लॉटर की स्थिति। क्या सभी ग्रामों के मानचित्र उपलब्ध हैं।

7.20 विशेष सर्वेक्षण किए जाने वाले कुल राजस्व ग्रामों में कितने ग्रामों का मानचित्र एवं विगत् खतियान अनुपलब्ध है। इनकी उपलब्धता या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा।

(ख) जिला स्तरीय नवनियुक्त कर्मियों का प्रशिक्षण (चेकलिस्ट)

7.21 प्रशिक्षण स्थलों का चयन। जिले को आवंटित किए गए अमीनों की संख्या के अनुरूप कक्षों के चयन की स्थिति।

7.22 प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं यथा, बिजली, पानी, पंखा, नेट की सुविधा इत्यादि का आकलन।

7.23 व्याख्याताओं का चयन एवं उनके उपलब्धता की स्थिति।

7.24 व्याख्यान कक्ष में उपलब्ध सुविधाएँ यथा कुर्सी, टेबल, बोर्ड, प्रोजेक्टर इत्यादि।

7.25 व्याख्याताओं और प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति संधारित करने संबंधी व्यवस्था।

7.26 व्याख्यान कक्ष में लेपटॉप या कम्प्यूटर लगाए जाने संबंधी व्यवस्था।

7.27 प्रशिक्षण स्थल पर भोजन, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वेन्डर के चयन की स्थिति भोजन के दर, गुणवत्ता इत्यादि के संदर्भ में।

7.28 भोजनावकाश के निश्चित समय में भोजन के वितरण आदि की व्यवस्था।

7.29 प्रशिक्षंण के दौरान वितरित की जाने वाली प्रशिक्षण सामग्रियों के निदेशालय से प्राप्त करने की स्थिति।

7.30 व्याख्याताओं को मानदेय भुगतान संबंधी व्यवस्था।

7.31 व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए चयन किए गए स्थलों की समीक्षा।

7.32 जिला मुख्यालय से व्यावहारिक प्रशिक्षण स्थल पर ले जाने संबंधी सुविधा/प्रबंध की समीक्षा।

7.33 प्रशिक्षण देने के लिए ETS/DGPS के उपलब्धता की स्थिति।

7.34 ETS/DGPS का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों के उपलब्धता की स्थिति।

7.35 प्रशिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने संबंधी व्यवस्था। क्या प्रश्नावली तैयार की गई है।

7.36 व्याख्यान कक्षों के अनुसार कक्ष संयोजक (Room Coordinator) के रूप में कर्मियों की चिन्हित करने की कार्रवाई।

7.37 प्रशिक्षण संबंधी प्रतिवेदन यथा उपस्थिति, व्याख्याताओं की अनुपस्थिति, इत्यादि के संबंध में राज्य मुख्यालय को प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजने संबंधी व्यवस्था।

7.38 व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षकों का चयन।

7.39 प्रशिक्षणार्थियों में सम्मिलित महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध सुविधा एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण में आने वाली संभावित कठिनाईयों का आकलन।

7.40 विशेष सर्वेक्षण लिपिकों का प्रशिक्षणः– अंतिम रूप से चयनित विशेष सर्वेक्षण लिपिकों को जिलावार पदस्थापित करने के पश्चात् ये लिपिक संबंधित जिलें में योगदान करेंगे। इन लिपिकों के प्रशिक्षण हेतु इन्हें संबंधित अंचल जिसके शिविर में इन्हें कार्य करना है उक्त अंचल में कार्यालय एवं वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण संबंधित

अंचलाधिकारी के देख–रेख में अंचल कार्यालय के प्रधान सहायक, नाजीर आदि के द्वारा दिया जाएगा। इन्हें प्रशिक्षण के दौरान रोकड़ पंजी संधारण एवं संचिका/अभिलेख लेखन का प्रशिक्षण वृहद रूप से दिया जाना है।

संबंधित जिले के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) द्वारा इन लिपिकों को सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेखों के लेखन हेतु एवं सर्वेक्षण प्रक्रिया के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जिले के समाहर्त्ता/बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई की समीक्षा।

8 जिला स्तरीय एवं अंचल स्तरीय कार्यालयों के साथ समन्वय की समीक्षा

8.1 विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि की विवरणी प्राप्त करने के लिए विभागवार नियुक्त किए गए नोडल पदाधिकारियों की जिला स्तरीय बैठक एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा।

8.2 विभिन्न अंचल कार्यालयों द्वारा विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराए गए सरकारी भूमि की विवरणी, जमाबंदी पंजी की विवरणी, निष्पादित दाखिल–खारिज वादों एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों को उपलब्ध कराए जाने की स्थिति।

8.3 अंचल कार्यालयों द्वारा बन्दोबस्त की गई भूमि की विवरणी शिविर कार्यालयों को उपलब्ध कराए जाने की समीक्षा।

8.4 विभिन्न अंचलों में चल रहे सर्वेक्षण शिविरों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं यथा पेयजल, प्रसाधन, बिजली, पानी इत्यादि के उपलब्धता की स्थिति।

8.5 विशेष सर्वेक्षण शिविरों द्वारा आयोजित किए जाने वाले ग्राम–सभा में अंचल एवं थाना स्तरीय सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय।

8.6 विशेष सर्वेक्षण के क्रम में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा लगाए गए पीलरों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए किए गए उपाय।

8.7 विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले कार्यों यथा ग्राम–सभा करना, पीलर लगाना इत्यादि के संबंध में अंचल/थाना/प्रखंड को सूचित किए जाने संबंधी प्रमाणों की पुष्टि।

9 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु द्वितीय भ्रमण

जिला स्तरीय प्रबंधन की समीक्षा

(क) कार्य क्षेत्र

9.1 जिला अंतर्गत कुल अंचलों की संख्या
9.2 कितने अंचलों में कार्य प्रारंभ किया गया है।
9.3 जिला अंतर्गत कुल ग्रामों की संख्या।
9.4 कितने ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है।
9.5 विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के लिए गठित किए गए सर्वेक्षण शिविरों की संख्या।
9.6 क्या जिन अंचलों में कार्य प्रारंभ किया गया है उनमें असर्वेक्षित ग्राम भी हैं यदि हैं, तो संख्या या अनुमानित रकवा।

(ख) कार्यबल प्रबंधन

9.7 जिला के प्रभारी पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण का नाम, पदनाम एवं संपर्क नं0 –
9.8 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मुख्यालय) का नाम एवं संपर्क नं0
9.9 जिले में पदस्थापित नियमित एवं संविदा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी की संख्या।

9.10 जिले में पदस्थापित नियमित एवं संविदा कानूनगो की संख्या।
9.11 जिले में पदस्थापित संविदा अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन की संख्या।
9.12 जिले में पदस्थापित संविदा एवं नियमित लिपिक की संख्या।
9.13 पदस्थापित कम्प्यूटर ऑपरेटरों की संख्या–जिला मुख्यालय में– शिविर कार्यालयों में।
9.14 जिला मुख्यालय में पदस्थापित अनुसेवकों की संख्या।

(ग) आधारभूत सुविधाओं की स्थिति

9.15 जिला बन्दोबस्त कार्यालय का स्थान कहाँ स्थित है और किस प्रकार के भवन में अवस्थित है।
9.16 जिला बन्दोबस्त कार्यालय में कमरों की संख्या।
9.17 जिला बन्दोबस्त कार्यालय में बुनियादी सुविधाओं यथा बिजली, पेयजल, सौचालय, नेट की सुविधा इत्यादि के उपलब्धता की स्थिति।
9.18 कार्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटरों की संख्या।
9.19 जिला बन्दोबस्त कार्यालय में मानचित्रों के रख–रखाव एवं जाँच के लिए ग्लास टेबल के उपलब्धता की स्थिति।
9.20 क्या कार्यरत सभी अमीनों को आवश्यक सामग्री यथा– तख्ती, तिपाई, टेप, स्केल इत्यादि उपलब्ध करा दी गई है ?
9.21 क्या सभी शिविर कार्यालयों को भवन उपलब्ध करा दिया गया है।
9.22 शिविर कार्यालयों में बिजली एवं नेट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो वैकल्पिक क्या व्यवस्था की गई है।
9.23 क्या सभी शिविर कार्यालय आवागमन के दृष्टिकोण से सुविधाजनक सड़क मार्ग से जुड़े है?

(घ) आवश्यक अभिलेखों, मानचित्रों एवं प्रपत्रों के उपलब्धता की स्थिति

9.24 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों की संख्या।

9.25 विगत सर्वेक्षण के कितने ग्रामों का मानचित्र अनुपलब्ध है।

9.26 विगत सर्वेक्षण के कितने ग्रामों का खतियान जिला एवं अंचल स्तर पर अनुपलब्ध है।

9.27 विशेष सर्वेक्षण के लिए राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए प्रपत्र एवं पंजी पर्याप्त हैं या नहीं,

(ङ) हवाई सर्वेक्षण एजेंसी

9.28 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के जिला स्तरीय प्रतिनिधि का नाम एवं नं0

9.29 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा जिला में लगाए गए प्राईमरी कन्ट्रोल प्वाइंट की संख्या।

9.30 एजेंसी द्वारा जिला में लगाए गए सेकेन्डरी कन्ट्रोल प्वाइंट की संख्या।

9.31 एजेंसी द्वारा लगाए गए कन्ट्रोल प्वाइंट सुरक्षित हैं या नहीं।

9.32 ग्राम सीमा सत्यापन के क्रम में टरसियरी कन्ट्रोल प्वाइंट लगाने के लिए एजेंसी द्वारा चिन्हित किए बिन्दुओं की अनुमानित संख्या।

9.33 क्या जिला प्रशासन द्वारा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को कार्यालय के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया है। एजेंसी का कार्यालय जिला बन्दोबस्त कार्यालय से सुविधाजनक दूरी पर अवस्थित है या नहीं।

9.34 एजेंसी द्वारा जिला में विशेष सर्वेक्षण के लिए उपलब्ध ई0टी0एस0 मशीन की संख्या।

9.35 एजेंसी के पास उपलब्ध डी0जी0पी0एस0 मशीन की संख्या।

9.36 एजेंसी द्वारा डी0जी0पी0एस0 मशीन द्वारा कन्ट्रोल प्वाइंट की रीडिंग प्राप्त कर संधारित किया जा रहा है या नहीं।

9.37 एजेंसी के पास उपलब्ध कुल ई0टी0एस0 ऑपरेटर

9.38 एजेंसी के पास उपलब्ध कुल कार्यालय कर्मी।

9.39 एजेंसी को शिविर कार्यालय में स्थान उपलब्ध कराया गया है या नहीं।

विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा

(क) शिविरों के मौजों के सर्वेक्षण हेतु उदघोषणा

9.40 विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमवाली, 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत कितने ग्राम का उद्घोषणा नहीं की गई है।

9.41 बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 6(2) के अंतर्गत जिला, अंचल एवं शिविर स्तर पर प्रचार–प्रसार का आवश्यक कार्य किया गया। साथ ही, कितने ग्राम में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

9.42 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के नियम 4 उपनियम 1 के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा कितने ग्रामों किया गया ?

9.43 विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 4 उपनियम 1 के आलोक में किये गये उद्घोषणा की प्रति सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों एवं आम रैयतों को तामीला कराया गया या नहीं और क्या तामिला प्रतिवेदन ग्राम अभिलेख में संलग्न किया गया है ?

(ख) मौजावार स्वघोषणा, वंशावली एवं प्रपत्र–5 की तैयारी

9.44 विशेष सर्वेक्षण नियमावली के नियम (6)(1) एवं (2) के अंतर्गत कितने भू–स्वामी/भूधारी से स्वघोषणा प्रपत्र–2 में प्राप्त किया गया।

9.45 रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा प्रपत्र–2 को स्कैन कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर रखा जा रहा है या नहीं।

9.46 रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा प्रपत्र (2) ग्रामवार गार्ड फाईल में चस्पा कर रखा जा रहा है या नहीं।

9.47 बिहार सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 6(1) के अंतर्गत भू–स्वामी/भू–धारी से संबंधित स्वघोषणा प्रपत्र–2 की एक प्रति प्राप्त कर पावती प्रमाण पत्र दिया जा रहा है या नहीं ?

9.48 कितने ग्रामों का भू–स्वामी/रैयत का बंशावली का ग्राम–सभा से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

9.49 कितने ग्राम का प्रपत्र–5 शिविरवार तैंयार किया गया है?

9.50 कितने ग्राम का प्रपत्र–5 खतियान की अनुपलब्धता के कारण तैयार नहीं किया गया।

(ग) मौजावार किश्तवार (सीमांकन एवं मोन्यूमेंटेशन सहित)

9.51 सड़क और नदी इत्यादि के मध्य पड़ने वाले त्रि–सीमाना को अनुकूल स्थान पर दिशा निर्देश के साथ स्थापित किया गया है या नहीं ?

9.52 सड़क और नदी इत्यादि के मध्य पड़ने वाले त्रि–सीमाना को अनुकूल स्थान पर लगायें जाने पश्चात् Coordinate (अक्षांश–देशांतर) लिया गया है या नहीं ? साथ ही मानचित्र पर Coordinate (अक्षांश–देशांतर) दर्शाया गया है या नहीं ?

9.53 किस्तवार प्रारंभ किये जाने के साथ हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा Monumentation किये गए पिलर की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय।

9.54 विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्यो यथा ग्रामसभा करना, पिलर लगाना इत्यादि के संबंध में अंचल/प्रखंड/थाना को सूचित किए जाने संबंधी प्रमाणों का संधारण।

10 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु तृतीय भ्रमण में समीक्षा के बिन्दु

(क) मौजावार खानापुरी प्रपत्र–6 में तैयारी की स्थिति

10.1 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 9 तहत कितने ग्राम में खानापुरी कार्य प्रारंभ किया गया ?

10.2 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 9 उपनियम 3 (ख) के अनुसार रैयत की भूमि का विवरण अमीन कानूनगो के माध्यम से आदेश प्राप्त कर कितने ग्राम में याददास्त पंजी प्रपत्र 3(2) में दर्ज किया गया है।

10.3 क्या शिविर को खेसरा पंजी एवं याददास्त पंजी उपलब्ध करा दिया गया है।

10.4 क्या ग्रामवार खेसरा पंजी का संधारण किया जा रहा है।

10.5 क्या ग्रामवार याददास्त पंजी संधारण किया गया है ?

10.6 कितने ग्राम का याददास्त पंजी तैयार किया गया ?

10.7 कितने ग्राम का खानापुरी कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

10.8 कितने ग्राम में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा विशेष सर्वेक्षण नियमवाली, 2012 के नियम 9(क) के अनुसार सत्यापन कार्य किया गया है?

10.9 क्या खानापुरी कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण स्वघोषणा का सत्यापन एवं वंशावली का ग्रामसभा से अनुमोदन कर लिया गया है। यदि हॉ, तो ग्रामों की संख्या ?

(ख) खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 की स्थिति

10.10 विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 9(6) के आलोक में एजेंसी द्वारा कितने ग्रामों का खानापुरी पर्चा (प्रपत्र–7) एवं एल0पी0एम0 तैयार किया गया और कितने ग्राम का खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 एजेंसी के पास लंबित है?

10.11 कितने ग्राम का खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 वितरित किया गया?

(ग) प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की स्थिति

10.12 विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 10 के अनुसार शिविर के राजस्व ग्रामों में प्रपत्र में प्राप्त दावा/आपत्ति का निष्पादन कितना किया गया?

10.13 क्या राजस्व ग्राम में कानूनगो द्वारा विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 10(3) के अनुसार 60 कार्य दिवस के भीतर एक तर्क संगत एवं सुखद (Speating) आदेश पारित किया जा रहा है ?

10.14 क्या प्रपत्र 8 में सरकारी भूमि से संबंधित दावा/आपत्ति का सुनवाई/निपटारा का नियमावली के नियम 10(3) के अंतर्गत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

(घ) **प्रारूप प्रकाशन की स्थिति**

10.15 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 11(1) के अनुसार कितने ग्राम का प्रपत्र 12 में खानापुरी अधिकार--अभिलेख का प्रारूप तैयार किया गया ?

10.16 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 12(1) के अंतर्गत कितने ग्राम का शिविर/सार्वजनिक स्थल/ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट/अंचल कार्यालय के सूचना–पट पर प्रकाशित किया गया है ?

10.17 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 12(2) के अधीन प्रकाशित मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप आम जनता के परिशीलनार्थ विशेष सर्वेक्षण/बंदोबस्त शिविर कार्यालय में मुक्त से उपलब्ध रखा गया है कि नही ?

10.18 क्या बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 13(1) के अंतर्गत प्रारूप के प्रकाशन के विरूद्ध दावा/आक्षेप आपत्ति आमंत्रित करने के लिए प्रपत्र 13 में एक आम सूचना निर्गत किया गया।

11 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु चतुर्थ भ्रमण में समीक्षा के बिन्दु

(क) प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति एवं निराकरण

11.1 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 13(4) के आलोक में भू–स्वामी/ भू–धारी से प्रपत्र 14 में कितने ग्राम में और कितना संख्या में दावा/आपत्ति प्राप्त किया गया।

11.2 क्या बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली 13(5) के अंतर्गत प्राप्त दावा/आपत्ति को प्रपत्र–15 में एक पृथक पंजी में संधारित किया गया।

11.3 प्रपत्र–14 में प्राप्त दावा/आपत्ति के विरूद्ध कितने दावा/आपत्ति का निष्पादन किया गया ?

(ख) लगान निर्धारण एवं उसका अनुमोदन

11.4 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 (5 का (i)) के अंतर्गत कितने राजस्व ग्राम का लगान दर तालिका प्रपत्र 18(क) में तैयार किया जाएगा।

11.5 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 उपनियम 5(क) (ii) के अंतर्गत कितने राजस्व ग्राम की लगान तालिका प्रकाशित की गयी।

11.6 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 उपनियम 5(iv) के अंतर्गत प्रभारी पदाधिकारी द्वारा कितने राजस्व ग्राम को सम्पुष्टि एवं स्वीकृति के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

11.7 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 उपनियम 5(क)(vi) के अंतर्गत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा कितने राजस्व ग्रामों की स्वीकृति दी गई।

(ग) प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन

11.8 विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 15(1) के अनुसार कितने राजस्व ग्राम का अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र की प्रतियॉ अंतिम प्रकाशन आम जनता के निरीक्षण शिविर/सार्वजनिक स्थल/ग्राम पंचायत के सूचना पट/अंचल के सूचना पट पर प्रकाशित किया गया।

(घ) प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति एवं निराकरण

11.9 बिहार विशेष सर्वेक्षण संशोधित नियमावली, 2012 (यथासंशोधित, 2026) के नियम 15(3) के आलोक में भू–स्वामी/भू–धारी से प्रपत्र 21 में कितने ग्राम में और कितना संख्या में दावा/आपत्ति प्राप्त किया गया।

11.10 क्या बिहार विशेष सर्वेक्षण संशोधित नियमावली, 2012 (यथासंशोधित, 2026) के नियम 15 (4) क के अंतर्गत प्राप्त दावा/आपत्ति को प्रपत्र–24 में एक पृथक पंजी में संधारित किया गया।

11.11 प्रपत्र–21 में प्राप्त दावा/आपत्ति के विरूद्ध कितने दावा/आपत्ति का निष्पादन किया गया एवं अधिकार–अभिलेख और मानचित्र में सुधार किया गया ?

(ड़) अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन

11.12 बिहार विशेष सर्वेक्षण संशोधित नियमावली, 2012 (यथासंशोधित, 2026) के 15(8) के अंतर्गत नया तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर अंतिम प्रकाशन हेतु कितने ग्राम का प्रपत्र–25 में चार प्रतियों में अधिकार–अभिलेख तैयार किया गया।

खण्ड—III

शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का भ्रमण

12 शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का प्रथम भ्रमण

(क) सर्वेक्षण शिविरों का गठन एवं संरचना

12.1 प्रत्येक अंचल के आधार पर शिविरों का गठन

12.2 बड़े राजस्व ग्रामों में एक से अधिक अमीन

12.3 शिविर अंचल की सीमा के अन्दर ही गठित

12.4 शिविर मुख्यालय पंचायत सरकार भवन/अंचल मुख्यालय/अंचल अभिलेखागार भवन।

एक शिविर में कर्मियों की संख्या	
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी	1
कानूनगो	2
लिपिक	2
कार्यपालक सहायक	1
अमीन	15 से 25

(ख) सर्वेक्षण शिविरों का प्रबंधन

12.5 विशेष सर्वेक्षण शिविर की प्रशासनिक संरचना शिविर कार्यालय एवं क्षेत्रीय कर्मियों के पदस्थापना संबंधी विवरणी।

12.6 शिविर में उपलब्ध आधारभूत संसाधन–अभिलेखों एवं मानचित्रों के रखरखाव संबंधी व्यवस्था।

12.7 विगत सर्वेक्षण के खतियान एवं मानचित्रों की उपलब्धता की स्थिति, ग्रामों की संख्या जिनका खतियान या मानचित्र उपलब्ध नहीं है।

12.8 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के सेवा शर्तों के अनुसार कर्मियों के पास संसाधनों यथा Laptop इत्यादि की स्थिति।

12.9 शिविर स्तर पर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किए जाने वाले प्रपत्रों के प्रविष्टि की स्थिति।

12.10 शिविर से संबद्ध किए गए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कर्मी एवं संसाधनों की समीक्षा।

12.11 मानचित्रों अभिलेखों, रैयतों से प्राप्त आवेदन, दावा आपत्ति इत्यादि की सुरक्षित कर संधारण किए जाने संबंधी व्यवस्था।

12.12 शिविर स्तर पर कार्यरत कर्मियों के आवासन की स्थिति।

12.13 विशेष सर्वेक्षण अमीन को कार्य करने के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों की स्थिति।

12.14 ग्रामवार ग्राम अभिलेख का संधारण किया जा रहा है कि नहीं ?

12.15 विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमवाली, 2012 के नियम 6(4) के अनुसार भू–स्वामी/भू–धारी से प्राप्त स्वघोषणा का सत्यापन राजस्व से संबंधित विभिन्न अधिकार अभिलेख किया जा रहा है कि नहीं ? साथ ही विशेष सर्वेक्षण नियमावली के नियम 6 (7) के प्रपत्र 3 में सत्यापन प्रमाण पत्र की पंजी का संधारण किया जा रहा है कि नहीं ?

12.16 सर्वेक्षण शिविरों को अंचल स्तर से प्राप्त होने वाली विवरणी यथा सरकारी भूमि की विवरणी, बंदोबस्ती भूमि इत्यादि।

12.17 हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा शिविर स्तर पर लगाए जाने वाले टरसयरी कन्ट्रोल प्वाइंट एवं उनके DGPS आब्जरवेशन लेने के लिए की गई व्यवस्था।

12.18 शिविर स्तर पर किए जाने वाले वित्तीय कार्यो की समीक्षा।

12.19 विशेष सर्वेक्षण शिविरों में रैयतों से स्वघोषणा एवं दावा आपत्ति लेने के लिए की व्यवस्था एवं रैयतों को दी जाने वाली सुविधाओं का आकलन।

12.20 शिविर कार्यालय में विशेष सर्वेक्षण संबंधी प्रपत्रों की उपलब्धता।

12.21 शिविर कार्यालय द्वारा अनुपलब्ध मानचित्रों को स्थानीय स्तर पर रैयतों से उपलब्ध कराने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की समीक्षा।

12.22 शिविर कार्यालय में संधारित होने वाली पंजियों यथा आगत–निर्गत, उपस्थिति पंजी, कैशबुक इत्यादि के संधारण की स्थिति।

12.23 विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 8(1) के अनुसार राजस्व ग्रामवार खानापुरी दल का गठन कितने शिविरों में किया गया और क्या जिला के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है ?

12.24 क्या शिविर संचालन हेतु भवन का अधिग्रहण किया गया है।

12.25 क्या शिविर संचालन हेतु आवश्यक उपस्कर रखा गया है।

12.26 शिविर में अभिलेख/प्रपत्र का रख रखाव सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं ?

13 शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का द्वितीय भ्रमण

विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा

(क) शिविरों के मौजों के सर्वेक्षण हेतु उद्घोषणा

13.1 विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमवाली, 2012 के नियम 4 (1) के अंतर्गत शिविर के कितने ग्रामों की उद्घोषणा की गई है।

13.2 जिन शिविरों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है, वहां जनसहभगिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये है।

13.3 शिविर कार्यालयों में आवश्यक संसाधन यथा– पेयजल, शौचालय, बिजली, इंटरनेट की सुविधा इत्यादि उपलब्ध है या नहीं।

13.4 विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 4 उपनियम 1 के आलोक में किये गये उद्घोषणा की प्रति शिविर से संबंधित ग्रामों में तामिला कराये जाने की स्थिति। क्या तामिला प्रतिवेदन को ग्राम अभिलेख में संलग्न किया जा रहा है।

(ख) मौजावार स्वघोषणा, वंशावली एवं प्रपत्र–5 की तैयारी

13.5 शिविर अंतर्गत कुल कितने ग्रामों के कितने भू–स्वामी/भू–धारी द्वारा शिविर कार्यालय में प्रपत्र–2 समर्पित किया गया है।

13.6 रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा प्रपत्र–2 को स्कैन कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर रखा जा रहा है कि नहीं।

13.7 रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा प्रपत्र (2) ग्रामवार गार्ड फाईल में चस्पा कर रखा जा रहा है कि नहीं।

13.8 बिहार सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 6(1) के अंतर्गत भू–स्वामी/भू–धारी से संबंधित स्वघोषणा प्रपत्र–2 की एक प्रति प्राप्त कर पावती प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि नहीं ?

13.9 कितने ग्रामों का भू–स्वामी/रैयत का बंशावली का ग्राम–सभा से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

13.10 शिविर अंतर्गत कितने ग्रामों का प्रपत्र–5 तैयार किया गया है?

13.11 कितने ग्राम का प्रपत्र–5 खतियान की अनुपलब्धता के कारण तैयार नहीं किया गया।

(ग) मौजावार किश्तवार (सीमांकन एवं मोन्यूमेंटेशन सहित)

13.12 सड़क और नदी इत्यादि के मध्य पड़ने वाले त्रि–सीमाना को अनुकूल स्थान पर दिशा निर्देश के साथ स्थापित किया गया है या नहीं ?

13.13 सड़क और नदी इत्यादि के मध्य पड़ने वाले त्रि–सीमाना को अनुकूल स्थान पर लगायें जाने पश्चात् Coordinate (अक्षांश–देशांतर) लिया गया है या नहीं ? साथ ही मानचित्र पर Coordinate (अक्षांश–देशांतर) दर्शाया गया है या नहीं ?

13.14 किस्तवार प्रारंभ किये जाने के साथ हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा Monumentation किये गए पिलर की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय।

13.15 विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय द्वारा किए जाने वाले कार्यो यथा ग्रामसभा करना, पिलर लगाना इत्यादि के संबंध में अंचल/प्रखंड/थाना को सूचित किए जाने संबंधी प्रमाणों का संधारण।

14 शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का तृतीय भ्रमण

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु तृतीय भ्रमण में समीक्षा–बिन्दु संबंधी चेकलिस्ट : –

(क) मौजावार खानापुरी प्रपत्र–6 में तैयारी की स्थिति

14.1 शिविर अंतर्गत कितने ग्राम में खानापुरी कार्य प्रारंभ किया गया ?

14.2 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 9 उपनियम 3 (ख) के अनुसार रैयत की भूमि का विवरण अमीन कानूनगो के माध्यम से आदेश प्राप्त कर कितने ग्राम में याददास्त पंजी प्रपत्र 3(2) में दर्ज किया गया है।

14.3 क्या शिविर में खेसरा पंजी एवं याददाश्त पंजी उपलब्ध करा दिया गया है।

14.4 क्या ग्रामवार खेसरा पंजी का संधारण किया जा रहा है।

14.5 क्या ग्रामवार याददाश्त पंजी संधारण किया गया है ?

14.6 कितने ग्राम का याददाश्त पंजी तैयार किया गया ?

14.7 कितने ग्राम का खानापुरी कार्य पूर्ण कर लिया गया है ?

14.8 कितने ग्राम में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा विशेष सर्वेक्षण नियमवाली, 2012 के नियम 9(क) के अनुसार सत्यापन कार्य किया गया है?

14.9 क्या खानापुरी कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण स्वघोषणा का सत्यापन एवं वंशावली का ग्रामसभा से अनुमोदन कर लिया गया है। यदि हॉ, तो ग्रामों की संख्या ?

(ख) खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 की स्थिति

14.10 विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 9(6) के आलोक में एजेंसी द्वारा कितने ग्रामों का खानापुरी पर्चा (प्रपत्र–7) एवं एल0पी0एम0 तैयार किया गया और कितने ग्राम का खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 एजेंसी के पास लंबित है?

14.11 कितने ग्राम का खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 वितरित किया गया?

(ग) प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की स्थिति

14.12 विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 10 के अनुसार शिविर के राजस्व ग्रामों में प्रपत्र में प्राप्त कितने दावा/आपत्ति का निष्पादन किया गया?

14.13 क्या राजस्व ग्राम में कानूनगो द्वारा विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 10(3) के अनुसार 60 कार्य दिवस के भीतर एक तर्क संगत एवं मुखर आदेश पारित किया जा रहा है ?

14.14 क्या प्रपत्र 8 में सरकारी भूमि से संबंधित दावा/आपत्ति की सुनवाई/निपटारा नियमावली के नियम 10(3) के अंतर्गत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

(घ) प्रारूप प्रकाशन की स्थिति

14.15 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 11(1) के अनुसार कितने ग्रामों का प्रपत्र 12 में खानापुरी अधिकार–अभिलेख का प्रारूप तैयार किया गया ?

14.16 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 12(1) के अंतर्गत कितने ग्रामों का शिविर/सार्वजनिक स्थल/ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट/अंचल कार्यालय के सूचना–पट पर प्रकाशित किया गया है ?

14.17 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 12(2) के अधीन प्रकाशित मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप आम जनता के परिशीलनार्थ विशेष सर्वेक्षण/बंदोबस्त शिविर कार्यालय में उपलब्ध रखा गया है कि नही ?

14.18 क्या बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 13(1) के अंतर्गत प्रारूप के प्रकाशन के विरूद्ध दावा/आक्षेप आपत्ति आमंत्रित करने के लिए प्रपत्र 13 में आम सूचना निर्गत किया गया ?

15 शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का चतुर्थ भ्रमण

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु चतुर्थ भ्रमण में समीक्षा के बिन्दु

(क) प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति एवं निराकरण

15.1 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 13(4) के आलोक में भू–स्वामी/ भू–धारी से प्रपत्र 14 में कितने ग्रामों में और कितनी संख्या में दावा/आपत्ति प्राप्त किया गया ?

15.2 क्या बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली 13(5) के अंतर्गत प्राप्त दावा/आपत्ति को प्रपत्र–15 में एक पृथक पंजी में संधारित किया गया ?

15.3 प्रपत्र–14 में प्राप्त दावा/आपत्ति के विरूद्ध कितने दावा/आपत्ति का निष्पादन किया गया ?

(ख) लगान निर्धारण एवं उसका अनुमोदन

15.4 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 (5 का (i)) के अंतर्गत कितने राजस्व ग्राम का लगान दर तालिका प्रपत्र 18(क) में तैयार की जाएगी।

15.5 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 उपनियम 5(क) (ii) के अंतर्गत कितने राजस्व ग्रामों की लगान तालिका प्रकाशित की गयी।

15.6 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 उपनियम 5(iv) के अंतर्गत प्रभारी पदाधिकारी द्वारा कितने राजस्व ग्रामों की सम्पुष्टि एवं स्वीकृति के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

15.7 बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 उपनियम 5(क)(vi) के अंतर्गत बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा कितने राजस्व ग्रामों की स्वीकृति दी गई।

(ग) प्रारूप अंतिम अधिकार अभिलेख विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति एवं निराकरण

15.8 बिहार विशेष सर्वेक्षण संशोधित नियमावली, 2012 (यथासंशोधित, 2026) के नियम 15(3) के आलोक में भू–स्वामी/भू–धारी से प्रपत्र 21 में कितने ग्राम में और कितना संख्या में दावा/आपत्ति प्राप्त किया गया।

15.9 क्या बिहार विशेष सर्वेक्षण संशोधित नियमावली, 2012 (यथासंशोधित, 2026) के नियम 15 (4) क के अंतर्गत प्राप्त दावा/आपत्ति को प्रपत्र–24 में एक पृथक पंजी में संधारित किया गया।

15.10 प्रपत्र–21 में प्राप्त दावा/आपत्ति के विरूद्ध कितने दावा/आपत्ति का निष्पादन किया गया एवं अधिकार–अभिलेख और मानचित्र में सुधार किया गया ?

(घ) अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का प्रकाशन

15.11 बिहार विशेष सर्वेक्षण संशोधित नियमावली, 2012 (यथासंशोधित, 2026) के 15(8) के अंतर्गत नया तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर अंतिम प्रकाशन हेतु कितने ग्राम का प्रपत्र–25 में चार प्रतियों में अधिकार–अभिलेख तैयार किया गया।

खण्ड–IV

प्रतिवेदन के प्रपत्र, अधिसूचनाएँ, परिपत्र एवं पत्र

16 प्रतिवेदन हेतु विभिन्न प्रपत्र

(i) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु प्रथम भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र

(ii) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु द्वितीय भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र

(iii) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु तृतीय भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र

(iv) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा हेतु चतुर्थ भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र

(v) शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का प्रथम भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र

(vi) शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का द्वितीय भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र

(vii) शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का तृतीय भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र

(viii) शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का चतुर्थ भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन का प्रपत्र

जिला स्तरीय प्रेक्षकों का प्रपत्र

प्रथम भ्रमण	–	प्रपत्र–क
		प्रपत्र–ख
		प्रपत्र–ग
द्वितीय भ्रमण	–	प्रपत्र–क
		प्रपत्र–ख
		प्रपत्र–ग
तृतीय भ्रमण	–	प्रपत्र–क
		प्रपत्र–ख
चतुर्थ भ्रमण	–	प्रपत्र–क

शिविर स्तरीय प्रेक्षकों का भ्रमण

प्रथम भ्रमण	–	प्रपत्र–क
द्वितीय भ्रमण	–	प्रपत्र–क
द्वितीय भ्रमण	–	प्रपत्र–क
चतुर्थ भ्रमण	–	प्रपत्र–क